वित्तीय स्वीकृति

संख्या-32/760/52-3-14-बजट(17)/2014

प्रेषक

देवेश चतुर्वेदी
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में

□□□□□
अल्पसंख्यक कल्याण : 0प्र0
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 20 □□, 2014

विषयः-वित्तीय वर्ष 2014-15 में कक्षा-10 पास अल्पसंख्यक छात्राओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हे हमारी बेटी उसका □□ योजनान्तर्गत अनुदान प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में। (□ □□□□□□)

□□□□,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वि (□ □-व्ययक) □□0-1 के कार्यालय ज्ञाप : 0-□□-1-795/□□-2014-231/2014, दिनांक 14-3-2014 के प्रस्तर-2(1) □ 2(8) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्यय में कक्ष-10 पास अल्पसंख्यक छात्राओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथव विवाह हेतु हमारी बेटी उसका कल योजनान्तर्गत अनुदान प्रदान किये जाने हेतु आयोजनागत पक्ष में प्राविधान हेतु प्रस्तावित धनराशि 0 3,50,00,00,000/- के सापेक्ष 04 माह के लेखानुदान के रूप में पारित □□□□□ रू0 1,16,66,66,000/- (रू0 □□ □□□ □□□ □□□ □□□

http://shasanadesh.up.nic.in

लाख छाछठ हजार मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि से केवल उन्हीं छात्राओं को लाभान्वित किया □□□□, जिन्होंने शैक्षिक सत्र 2013-14 में कक्षा-10 की परीक्षा उत्तीर्ण करके शैक्षिक सत्र 2014-15 में कक्षा-11 में प्रवेश लिया है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि से केवल योजनान्तर्गत पात्र छात्राओं को ही धनराशि का भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

3- योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन 0-1326/52-3-12-□□(82)/12, दिनांक 14-8-2012 □□□□□□-समय पर निर्गत तत्सबंधी शासनादेशों में निर्गत दिशा निर्देशों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किय□ □□□□□

4- शासनादेश दिनांक 14-8-2012 के प्रस्तर-2(7) □□□ □□□□□□□ □0-48-52-3-14-□□(2)/12 दिनांक 7-1-2014 के प्रस्त -4 की व्यवस्थानुसार योजनान्तर्गत पात्र छात्राओं को शासन द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर देय धनराशि बैंक के माध्यम से उनके व्यक्तिगत बैंक खाते में इलेक्ट्रानिक माध्यम से अन्तरित की जायेगी। केवल धनराशि के अन्तरण से संबंधित पत्र लाभार्थी संस्थाओं को एक समारोह आयोजि कर प्रभारी मंत्री/मंत्री जी के उपस्थित में वितरित की जायेगी।

5- आय व्ययक में प्राविधानित कुल धनराशि के सापेक्ष 1,00 प्रतिशत की धनराशि प्रशासकीय मद में पूर्व निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन व्यय की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण शासन को प्रत्येक 06 माह पर तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र माह मार्च 2014 की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- योजनान्तर्गत लाभार्थी संस्थाओं को वितरित की गयी धनराशि के अभिलेख डिस्टिलाइजेशन कराये जायेगें। ताकि किसी भी स्तर पर मागें जाने पर उन्हें तत्काल प्रस्तुत किया जा सकें।

8- □□□□□ □□ □□□□ (एलाटमेन्ट माध्य) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्ग □□□□/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक ह , उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय□□

2- उक्त व्यय वित्तीय व 2014-15 □□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पूरित हो तथा पश्चातवर्ती अवधि के लिए आवश्यक धन व्यवस्था वर्ष 2014-15 □□ □□ □□ व्ययक एवं तदसंबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो जाय।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 □□ □□- व्ययक के अनुदान संख -48 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ों वर्गों का कल्याण-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-0309-अल्पसंख्यक समुदाय की कक्ष -10 पास छात्राओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु अनुदान -20-□□□□□ □□□□-सामान्य (□□ □□□) □□□□□□□□ □□□□

4- यहा आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्य -□□-1-795/□□-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवदीय,

(देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

संख्य -760(1)/52-3-14-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय : 0प्र0,

2- (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 0प्र0,

3-मुख्य कोषाधिकारी,

4-कोषाधिकारी, , /वित्त एवं लेखाधिक ,
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, 0प्र0

5-रजिस्ट्रा , 0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद 704 ,

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा स ं,

(राकेश कुमार मिश्र)
संयुक्त सचि

http://shasanadesh.up.nic.in